झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान-सभा

दशम्-सत्र

वर्ग-03

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांकः- 14 अग्रहायण, 1934 (श0) / 05 दिसम्बर, 2012 (ई0) को

झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगेः-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
46.	अ0सू0-11	श्री विष्णु प्रसाद भैया	पेयजल की आपूर्ति।	पेयजल एवं स्वच्छता	29.11.12
47.	अ0सू0-09	श्रीमती कुन्ती देवी	पुल एवं घाट का निर्माण।	ग्रामीण विकास	29.11.12
48.	अ0सू0-03	श्री बंधु तिर्की	पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	ग्रामीण विकास	28.11.12
49.	अ0सू0-07	श्री संजय प्रसाद यादव	नियम के विरूद्ध कार्रवाई।	ग्रामीण कार्य	28.11.12
50.	अ0सू0-17	श्री अरविन्द कुमार सिंह	सड़क का निर्माण।	पथ निर्माण	30.11.12
51.	अ0सू0-14	श्री जयप्रकाश सिंह भोगता	पथ का निर्माण।	पथ निर्माण	30.11.12
52.	अ0सू0-13	श्री प्रदीप यादव	दोषी के विरूद्ध कार्रवाई।	पथ निर्माण	29.11.12
53.	अ0सू0-16	श्री बन्ना गुप्ता	मासिक शुल्क में कटौती करना।	पेयजल एवं स्वचछता	30.11.12

(कृ0पृ0उ0)

4.	अ0सू0-19	श्री अकिल अख्तर	नगर पंचायत क्षेत्र घोषित करना ।	नगर विकास	30.11.12
5.	अ0सू0-15	श्री बन्ना गुप्ता	सड़क की मरम्मति ।	पथ निर्माण	30.11.12
6.	अ0सू0-05	श्री गुरूचरण नायक	सड़क का निर्माण ।	पथ निर्माण	28.11.12
7.	अ0सू0-04	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई ।	नगर विकास	28.11.12
8.	अ0सू0-06	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	निर्माण कार्य पूरा करना ।	ग्रामीण विकास	28.11.12
9.	अ0सू0-01	श्री विनोद कुमार सिंह	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई ।	पंचायती राज	26.11.12
0.	अ0सू0-21	श्री अरूप चटर्जी	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई ।	राजस्व एवं भूमि सुधार	30.11.12
1.	अ0सू0-12	श्री अमित कुमार यादव	दाखिल खारिज एवं लगान का निर्धारण ।	राजस्व एवं भूमि सुधार	29.11.12
2.	अ0सू0-02	श्री बंधु तिर्की	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई ।	ग्रामीण विकास	28.11.12
3.	अ0सू0-08	श्री संजय प्रसाद यादव	पद से मुक्त करना ।	ग्रामीण कार्य	28.11.12
4.	अ0सू0-18	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	परिवहन निगम का गठन ।	परिवहन	30.11.12
5.	अ0सू0-20	श्री साईमन मराण्डी	पुलों का निर्माण ।	ग्रामीण विकास	30.11.12
6.	अ0सू0-10	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी	उच्चस्तरीय पुल का निर्माण ।	ग्रामीण विकास	29.11.12

राँची,
दिनांक-05.12.12 ई0 ।

समरेन्द्र कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

ज्ञापांक- 3527 /वि0स0, राँची, दिनांक- 3 दिसम्बर, 2012 ई0 ।

प्रतिलिपि:-झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्रिगण/अन्य मंत्रिगण/संसदीय कार्य मंत्री/नेता विरोधी दल, झारखण्ड विधान-सभा/मुख्य सचिव तथा महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित ।

किरण सुमन बखला 02/12/2012

(किरण सुमन बखला)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

ज्ञापांक- 3527 /वि0स0, राँची, दिनांक- 3 दिसम्बर, 2012 ई0 ।

प्रतिलिपि:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित ।

किरण सुमन बखला 05/12/2012

श्री विष्णु प्रसाद भैया, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–05.12.12 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न अ0सू0 –11 का उत्तर :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जामताडा शहरी क्षेत्र में वर्तमान में अजय नदी से पेयजल की आपूर्ति की जाती है, जो अशोधित है तथा 1 वर्ष में केवल 1–2 माह ही आपूर्ति हो पाती है;	उत्तर आशिंक स्वीकारात्मक है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा अजय नदी से प्रति दिन 2 से 3 घंटे जलापूर्ति की जाती है।
2.	*क्या यह बात सही है कि जामताड़ा शहर से 7* किलोमीटर की दूरी पर लाधना डैम (बराकर नदी) अवस्थित है, जिससे जामताड़ा शहरी क्षेत्र में पर्याप्त पेयजल आपूर्ति करने की क्षमता है तथा पेयजल का स्थायी समाधान हो सकता है;	अस्वीकारात्मक है। जामताड़ा शहर से बराकर नदी की दूरी 12 कि0मी0 है ।
3.	यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार लाधना डैम (बराकर नदी) से जामताड़ा शहरी क्षेत्र में पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	अजय नदी से जामताड़ा शहरी जलापूर्ति योजना (नयी) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है। मंत्रिपरिषद से स्वीकृति हो जाने पर कार्य शुरू हो जायेगा।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास विभाग

ज्ञापांकः–3/न0वि0/अल्पसूचित/112/2012 – 6391. रॉंची, दिनांक– 04-12-12.

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0–3422 वि0स0 राँची, दिनांक–29.11.12 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4/12/2012

(राम नारायण प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

@ *.-^Jh-155

श्रीमती कुन्ती देवी, माननीय स0वि0स0, द्वारा दिनांक– 05.09.2012 को पूछे जाने वाले
अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 – 09

प्रशनकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती कुन्ती देवी, माननीय स0वि0स0	श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज एवं एन0आर0ई0पी0 (वि0प्र0) विभाग
1. क्या यह बात सही है कि पिछले बजट सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मंत्री ने सदन को यह जानकारी उपलब्ध करायी थी कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा झरिया क्षेत्र में पुल बनाने हेतु स्वीकृत 140 लाख रू0 से शिमलाबहाल एवं बी0एन0आर0, कुस्तौर नदी पर पुल एवं घाट का डी0पी0आर0 प्रक्रिया में है एवं वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा झरिया क्षेत्र में पुल बनाने हेतु वित्तीय वर्ष– 2009–10 में स्वीकृत 140 लाख रू0 से शिमलाबहाल एवं बी0एन0आर0, कुस्तौर नदी पर पुल एवं घाट निर्माण कोई कार्रवाई नहीं की गई है ;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार शिमलाबहाल एवं बी0एन0आर0, कुस्तौर नदी पर पुल एवं घाट का डी0पी0आर0 तैयार करने एवं वित्तीय वर्ष– 2011–12 के लिए कार्य योजना को मुर्त रूप देकर पुल एवं घाट निर्माण का विचार रखती है यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 – 09 में अंकित पुल के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के प्रक्रियाधीन हैं।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक–5(वि0स0)– 430/2012 9015 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप– सं0प्र0 3420 दिनांक 29.11.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12/12

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(वि0स0)– 430/2012 9015 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय उप मुख्य, (ग्रामीण विकास),मंत्री झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(वि0स0)– 430/2012 9015 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–3), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

(48)

श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स०, द्वारा दिनांक– 05.09.2012 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ०सू० – 03

प्रशनकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री बंधु तिर्की, माननीय स०वि०स०	श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज एवं एन०आर०ई०पी० (वि०प्र०) विभाग
1. क्या यह बात सही है कि एस०बी०डी० के नियम 37.2 के तहत् कार्यो की समाप्ति में हुआ विलम्ब यदि संवेदक की गलती से होता है, तो संवेदक से 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन के हिसाब से परन्तु टेन्डर मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं का दंड शुल्क लिया जाना है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, राँची के अनुबध संख्या– एफ2–19/08–09 के द्वारा 566 लाख रूपये का काम 275 दिन विलम्ब से पूरा किया गया और लेट जुर्माना राशि 56.63 लाख रूपये की जगह संवेदक से एक रूपया भी अर्थदंड नहीं लिया गया;	अस्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार जुर्माना राशि (अर्थदंड) नहीं लगानेवाले दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक और नहीं तो क्यों ?	वस्तु स्थित यह है कि संवेदक द्वारा एकरारित अवधि के अंदर कार्य पूरा कर दिया गया है। उपरोक्त कण्डिका– 2 के उत्तर के आलोक में कोई कारवाई किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक–5(वि०स०)– 428/2012 9004 /ग्रा०वि० राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप– सं०प्र० 3404 दिनांक 28.11.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 4/12/12

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(वि०स०)– 428/2012 9004 /ग्रा०वि० राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय उप मुख्य, (ग्रामीण विकास),मंत्री झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 4/12/12

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(वि०स०)– 428/2012 9004 /ग्रा०वि० राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–3), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 4/12/12

सरकार के उप सचिव।

(49)

दिनांक 05.12.12 को मा0 स0वि0स0 श्री संजय प्रसाद यादव द्वारा सदन में पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–07

प्रश्नकर्त्ता श्री संजय प्रसाद यादव, मा0 स0वि0स0	उत्तरदाता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1– क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लोक निर्माण संहिता 2012 (पी0डब्लू0डी0 कोड) सभी निर्माण विभाग पर लागू है ;	1– स्वीकारात्मक।
2– क्या यह बात सही है कि पी0डब्लू0डी0 कोड के तहत दो लिफाफा पद्वति एवं एकल लिफाफा पत्रों पद्वति निविदा में तकनीकी मूल्यांकण में अधिक नवम्बर पानेवाले को कार्य आवंटित किया जाना है ;	2– झारखण्ड लोक निर्माण संहिता 2012 की कंडिका–163(b) में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय स्तर पर Guidelines निर्धारण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3– क्या यह बात सही है कि नियमों की अनदेखी कर समान्तरण होने पर लॉटरी द्वारा निविदा का निस्तार किया जा रहा है ;	3–SBD में प्रावधानित Clause के आधार पर निविदा निस्तार किया गया है।
4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार झारखण्ड लोक निर्माण संहिता 2012 का अक्षरशः पालन कराना चाहती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4–हाँ, पालन किया जा रहा है।

झारखंड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक– 01 (वि0स0–12)–1248/2012........3290........राँची, दिनांक........04.12.12

प्रतिलिपि –200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3393 दिनांक–28.11.2012 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
04.12.12

ज्ञापांक–01 (वि0स0–12)–1248/2012........3290........राँची, दिनांक........04.12.12

प्रतिलिपि –माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/मा0 मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
04.12.12

50

मान0, स0वि0स0, श्री अरविन्द कुमार सिंह द्वारा दिनांक 05.012.2012 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 – 17 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1 क्या यह बात सही है कि सराईकेला खरसॉवा जिलान्तर्गत ईचागढ़ प्रखण्ड के रंगामाटी से टीकर सड़क जो सिल्ली को जोड़ती है हालात अत्यन्त जर्जर है ; 2 क्या यह बात सही है कि उक्त सडक की खस्ता हालत से ईचागढ़ प्रखण्ड के हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ; 3 यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त सड़क का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों ?	रंगामाटी से टीकर 9.00 कि0मी0 तक के आई0आर0क्यू0पी0 कार्य, जिसके अन्तर्गत सतह का उन्नयन कार्य किया जाता है, के लिए प्राक्कलन का गठन किया जा रहा है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08–अ0सू0– 25/2012 8443(S) राँची/दिनांक : 04-12-12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 3469/वि0स0 दिनांक 30.11.12 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु0 : यथोक्त।

(ह0) 4/12/12
(ए0पी0चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :08–अ0सू0– 25/2012 8443(S) राँची/दिनांक : 04-12-12

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

(ह0) 4/12/12
(ए0पी0चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

51

मान0, स0वि0स0, श्री जय प्रकाश सिंह भोक्ता द्वारा दिनांक 05.012.2012 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 – 14 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1 क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत प्रखण्ड ईटखोरी से चतरा एवं प्रखण्ड टण्डवा से बहेरा पथ का निर्माण कार्य विगत दो वर्षो से अधुरा पड़ा है ;	स्वीकारात्मक ।
2 यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार ईटखोरी से चतरा एवं टण्डवा से बहेरा पथ का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों ?	ईटखोरी से चतरा–चौपारण – चतरा पथ (लम्बाई 49.2 कि0मी0) का पथांश है । ईटखोरी प्रखण्ड मुख्यालय से चतरा की कुल दूरी 35 कि0मी0 है । उक्त पथांश में दो एकरारनामा क्रमशः 10 से 27 कि0मी0 एवं 28 से 49.2 तक के लिये किया गया था । 10 से 27 तक के एकरारनामा बंद करने संबंधी कार्रवाई के विरुद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में याचिका दायर किया गया है । जिसमें माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 13.08.12 को अंतरिम आदेश दिया है कि संवेदक के विरुद्ध कोई Coercive Action नही लिया जाय। उक्त आदेश के आलोक एकरारनामा विखंडण एवं निविदा आमंत्रण संबंधी कार्रवाई नही की जा सकी है । माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश पारित होने के पश्चात् निदेशानुसार कार्रवाई की जायेगी । टंडवा से बहेरा (वास्तविक नाम टंडवा से रायखेलारी) है । इस पथ का निर्माण कार्य प्रगति में है । मार्च 2013 तक निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08–अ0सू0– 23/2012 8441 (S) राँची/दिनांक : 04.12.12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 3467/वि0स0 दिनांक 30.11.12 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु0 : यथोक्त।

4/12/12
(ए0पी0चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :08–अ0सू0– 23/2012 8441(S) राँची/दिनांक : 04.12.12

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

4/12/12
(ए0पी0चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

52

मान0, स0वि0स0, श्री प्रदीप यादव द्वारा दिनांक 05.012.2012 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 – 13 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1 क्या यह बात सही है कि गोविन्दपुर–जामताड़ा–दुमका–बरहेट – साहेबगंज, राँची रिंग रोड एवं अन्य दर्जनों महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा होने में काफी विलम्ब हो रहा है;	एशियन विकास बैंक संपोषित गोविन्दपुर – जामताड़ा – दुमका – बरहेट – साहेबगंज पथ अन्तराष्ट्रीय निविदा पद्धति के अनुसार संपादित किये जा रहे है। निर्माण कार्य के प्रगति की गति मुख्यतः निम्न कारणों से प्रभावित होती हैं :– " बाधारहित कार्य स्थल उपलब्ध कराना, वनभूमि अपयोजन, भूमि अधिग्रहण, यूटीलिटि शिफ्टिंग, पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना, एवं विधि व्यवस्था कायम रखना" ।
2 क्या यह बात सही है कि उपरोक्त सड़का का निर्माण समय सीमा के अन्दर पूरा नही होने के कारण खजाने से अनावश्यक करोड़ों राशि अधिक खर्च हो रहे हैं ;	अस्वीकारात्मक ।
3 यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार विलम्ब से काम करने वाली दोषी कम्पनी से राशि वसूलने एवं दोबारा दोषी कम्पनी को काम नही देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	गोविन्दपुर – जामताड़ा – दुमका – बरहेट – साहेबगंज पथ एकरारनामा समाप्ति की अवधि सितम्बर 2013 निर्धारित है । सम्प्रति यह कार्य चालू है । राँची रिंग रोड सेक्शन – VII के निर्माण कार्य हेतु संवेदक मेसर्स सोमदत्त बिल्डर्स प्रा0 लि0 एवं श्रीनेट एण्ड शाण्डिल्य कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 एवं कार्य के पर्यवेक्षण परामर्शी मेसर्स M/S HSSI-VS Infratech Management Pvt. Ltd. (JV) के साथ एकरारनामा किया गया था। संवेदक के द्वारा निर्माण कार्य में विलम्ब एवं अन्य कारणों से संवेदक एवं पर्यवेक्षण परामर्शी को Terminate कर दिया गया । साथ ही विभाग के द्वारा योजना के संवेदक मेसर्स सोमदत्त बिल्डर्स प्रा0 लि0 को काली सूची में दर्ज कर दिया गया ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08–अ0सू0– 22/2012 8440(S) राँची/दिनांक : 04-12-12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 3424 दिनांक 29.11.12 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु0 : यथोक्त।

ह0/- 4/12/12
(ए0पी0चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :08–अ0सू0– 22/2012 8440(S) राँची/दिनांक : 04-12-12

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

ह0/- 4/12/12
(ए0पी0चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(53)

माननीय श्री बन्ना गुप्ता , स० वि० स० द्वारा दिनांकः–5.12.12 को पुछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–16 से संबंधित उत्तर सामग्री

क्या मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग यह बतलाने की कृपा करेगें कि–	श्री हेमन्त सोरेन,उपमुख्य (विभागीय) मंत्री द्वारा दिया जानेवाला उत्तर–
प्रश्न	उत्तर
1–क्या यह बात सही है कि जमशेदपुर पूर्वी जिलाअन्तर्गत मानगो क्षेत्र विगत 30 वर्षो से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पी0एच0ई0डी0) द्वारा पेयजल आपूर्ति की जा रही है।	स्वीकारात्मक है।
2–क्या यह बात सही है कि संयुक्त बिहार के समय मानगो क्षेत्र में गुणवत्ता पूर्ण पेयजल आपूर्ति 24 घंटे की जाती थी, परन्तु वर्त्तमान में प्रत्येक सप्ताह एक से दो बार ही पेयजल आपूर्ति की जाती है।	अस्वीकारात्मक है। मानगो जलापूर्ति योजना का निर्माण वर्ष 64–65 में हुआ है। मानगो क्षेत्र में 1.2 एम0जी0डी0 जलापूर्ति की जाती है। वर्त्तमान में मानगो क्षेत्र के आबादी के अनुसार 10.5 एम0जी0डी0 जलापूर्ति की आवश्यकता है। जिसके लिए नया मानगो शहरी योजना का कार्य चल रहा है। लगभग 92% कार्य पूर्ण हो चुका है। नयी योजना की चालू हो जाने पर पर्याप्त मात्रा में जलापूर्ति की जायेगी।
3–क्या यह बात सही है कि पूर्व में पेयजल आपूर्ति हेतु प्रतिमाह 10 (दस) रू0 शूल्क ली जाती थी एवं वर्तमान में शूल्क में भारी बढ़ोत्तरी करते हुए 200/–रू0 शूल्क ली जाती है।	नगर विकास विभाग से संबंधित है।
4–यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार मानगो क्षेत्र में नियमित पेयजल आपूर्ति करते हुए मासिक शूल्क में कटौती करने का विचार रखती ‘ यदि हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों	नगर विकास विभाग से संबंधित है।

झारखंड सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांकः–5/अ0सू0–04/12–.....4951...................../रांची, दिनांकः–..4.12.12....

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधान सचिवालय के ज्ञापांक–3470 दि0 30.11.12 के कम में 200 प्रतियों के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(चन्द्रदेव दास)
सरकार के अवर सचिव।

श्री बन्ना गुप्ता, माननीय स०वि०स० द्वारा अल्प सूचित प्रश्न संख्या–16 के लिए उत्तर सामग्रीः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1. 2.	प्रश्न संख्या– 1 एवं 2	प्रश्न संख्या 1 एवं 2 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से संबंधित है।
3.	क्या यह बात सही है कि पूर्व में पेयजल आपूतिर्ज हेतु प्रतिमाह मात्र 10 (दस) रूपये शुल्क ली जाती थी एवं वर्त्तमान में शुल्क में भारी बढोत्तरी करते हुए 200 (दो सौ) रूपये शुल्क ली जाती हैं।	नगर विकास विभाग की अधिसूचना संख्या–1625, दिनांक–31.05.06 की कंड़िका–27 के के अनुसार निर्मत क्षेत्र 100 वर्गमीटर तक के निर्मित भवन के लिए 120 रूपये 101 वर्गमीटर से 200 वर्गमीटर तक के लिए 200 रूपये, 201 वर्गमीटर से 400 वर्गमीटर के लिए 320 रूपये एवं 400 वर्गमीटर से अधिक के लिए 480 रूपये प्रतिमाह जलदर निर्धारित की गई है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार मानगो क्षेत्र में नियमित पेयजल आपूर्ति करते हुए मासिक शुल्क में कटौती करने का विचार रखती, यदि हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा WPI के अनुसार 100 वर्गमीटर तक के निर्मित भवन के लिए 168 रूपये प्रतिमाह, 101 वर्गमीटर से 200 वर्गमीटर तक के लिए 280 रूपये, 201 वर्गमीटर से 400 वर्गमीटर के लिए 448 रूपये एवं 400 वर्गमीटर से अधिक के लिए 672 रूपये प्रतिमाह जलदर निर्धारण हेतु अनुशंसा की गई है। उक्त के आलोक में जन–कल्याण एवं जनता की आर्थिक स्थिति को देखते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या–1625, दिनांक–31.05.06 की कंड़िका–27 के तहत उपर्युक्त कंड़िका में वर्णित भवनों के लिए जलदर क्रमशः 120 रूपये, 200 रूपये, 320 रूपये एवं 480 रूपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया है, जो युक्तिसंगत प्रतीत होता है। सहायक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर वर्त्तमान में पेयजल की नियमित आपूर्ति की जा रहीं है। जलदर में वृद्धि वित्त विभाग के परामर्श एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर किया गया है। इस प्रकार जलापूर्ति कार्य में हो रहे अत्यधिक व्यय, मेन्टनेन्स खर्च, जलापूर्ति में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों पर हो रहे व्यय को देखते हुए जलदर का निर्धारण उचित है। उक्त के आलोक में जलदर के मासिक शुल्क में कटौती करना उचित नहीं होगा।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास विभाग

ज्ञापांक–5/न०वि०/ अ०सू०/101/2012....-6389.... दिनांक–.......04-12-12.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक–3470/वि०स०, दिनांक–30.11.2012/अभियंता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पत्रांक–4943, दिनांक–03.12.12 के आलोक में उत्तर सामग्री सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० 4/12/12

सरकार के अवर सचिव।

(54)

श्री अकिल अख्तर, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– न०–19 का उत्तर सामग्रीः–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के बरहरवा प्रखण्डान्तर्गत बरहरवा राजस्व ग्राम में झिकिटिया, पतना, रतनपुर, बरहरवा पू० बरहरवा, प० को मिलाकर लगभग 40,000 की आवादी है; बाजार नगर पंचायत के लिए सभी अर्हताए पूरी करता है;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि उपायुक्त साहेबगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर झिकटिया, पतना, रतनपुर बरहरवा पू० एवं बरहरवा प० को मिलाकर 2001 की जनगणना के अनुसार कुल आवादी 24,229 है।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रखण्ड मुख्यालय, राजकीय अस्पताल (पी०ए०सी०) दो कालेज, 3 हाईस्कूल, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीकृत बैंकों की शाखा, पी०एच०डी० विभाग, दूरसंचार निगम, विद्युत विभाग का अनुमण्डलीय कार्यालय है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि उपायुक्त, साहेबगंज के प्रतिवेदन के अनुसार बरहरवा रेलवे शहर में रेलवे जंक्शन, प्रखण्ड कार्यालय, राजकीय अस्पताल, बी०एस०के० कॉलेज, दूरदर्शन केन्द्र, एवं बैंक अवस्थित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बरहरवा बाजार को नगर पंचायत क्षेत्र घोषित कराना चाहेगी, हाँ तो कब तक, नही तो क्यो?	वस्तुस्थिति यह है कि जनगणना निदेशालय द्वारा अभी वर्ष 2011 की जनगणना के आकड़े अंमित रूप से प्रकाशित नहीं हुए है। अंतिम रूप से जनगणना का प्रकाशन होने के पश्चात् उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा संबंधित पंचायत समिति एवं जिला परिषद से अनापत्ति प्राप्त करते हुए अपने मंतव्य के साथ नगर विकास विभाग को प्रेषित करेंगे। उपायुक्त, साहेबगंज से तत्संबंधी प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा–3 से 8 में किये गये प्रावधान के आलोक में नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
नगर विकास विभाग

ज्ञापांक–5/न०वि०/ वि०स०ता०/108 /2012–5383. दिनांक– 04-12-12.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक संख्या–3472/वि०स०, दिनांक–30.11.2012 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के अवर सचिव।

मान0, स0वि0स0, श्री बन्ना गुप्ता द्वारा दिनांक 05.012.2012 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 – 15 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	**उत्तरदाता** **माननीय मंत्री, प0नि0वि0** **उत्तर**
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि – 1 क्या यह बात सही है कि सरकार वाहन मालिकों से रोड टैक्स वसूलती है बदले में बेहतर सड़क मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है ; 2 क्या यह बात सही है कि जमशेददपुर शहर एवं आस–पास के क्षेत्रों में जर्जर सड़क के कारण सड़क दुर्घटना में भारी इजाफा हुई है वर्ष 2011 में 322 तथा वर्ष 2012 में 354 सड़क दुर्घटना होने की पुष्टि हुई है ; 3 यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार जर्जर सड़कों को दुरुस्त करने एवं दुर्घटना रोकने हेतु व्यापक इन्तजाम करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	सरकार द्वारा सड़क निर्माण एवं अनुरक्षण की दिशा में कार्रवाई की जाती रही है । विभाग द्वारा अपने स्वामित्व के पथों का रख–रखाव किया जाता है ।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08–अ0सू0– 24/2012 8442 (S) राँची/दिनांक : 04-12-12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 3468/वि0स0 दिनांक 30.11.12 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु0 : यथोक्त।

4/12/12
(ए0पी0चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :08–अ0सू0– 24/2012 8442(S) राँची/दिनांक : 04-12-12

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

4/12/12
(ए0पी0चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

(56)

मा0, स0वि0स0, श्री गुरुचरण नायक द्वारा दिनांक 05.012.2012 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0 – अ0सू0 – 05 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता माननीय मंत्री, प0नि0वि0 उत्तर
क्या मंत्री, प0नि0वि0, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	
1. क्या यह बात सही है कि प0 सिंहभूम जिलान्तर्गत मनोहरपुर पथ प्रमण्डल के चक्रधरपुर से सोनुवा गोईलकेरा तक 35 कि0मी0 सड़क अति जर्जर अवस्था में है; 2. क्या यह बात सही है कि चाईबासा मुख्यालय जाने के लिए एक मात्र सड़क है ; 3. क्या यह बात सही है कि सोनुवा प्रखण्ड एवं गोईलकेरा प्रखण्ड अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है ;	आंशिक रुप से स्वीकारात्मक ।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार उक्त सड़क निर्माण कार्य कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	सन्दर्भित पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के डी0पी0आर0 की तकनीकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग, राँची ।

ज्ञापांक : 08–अ0सू0– 21/2012 8439(S) राँची/दिनांक : 04-12-12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, राँची के ज्ञापांक 3391 दिनांक 28.11.12 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 अतिरिक्त चक्रचालित प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

अनु0 : यथोक्त।

(ए0पी0चौधरी) 4/12/12
सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :08–अ0सू0– 21/2012 8439(S) राँची/दिनांक : 04-12-12

प्रतिलिपि : उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची /मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित्।

(ए0पी0चौधरी) 4/12/12
सरकार के विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची।

अल्पसूचित

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा पूछा जानेवाला ~~तारांकित~~ प्रश्न संख्या–~~ता0~~–04 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राँची अवस्थित समाहरणालय भवन, जिला परिषद का भवन, भवन निर्माण विभाग का भवन तथा नगर निगम का वाटरबोर्ड भवन बिना नक्शा स्वीकृत कराये निर्मित किये गये है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि बिना नक्शा स्वीकृति के निर्मित अवैध भवनों के नियमितीकरण हेतु लाये गये अधिनियम के अनुसार 6 महीने के भीतर नगर निगम में आवेदन देना था, परन्तु खण्ड (1) में वर्णित भवनों का रेग्यूलराइज करने के लिए आवेदन नहीं दिया गया ;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	खण्ड एक में वर्णित भवनों का नक्शा स्वीकृत नहीं करने से संबंधित प्रशासी विभागों को सूचित करने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार

नगर विकास विभाग

ज्ञापांकः–2/न0वि0/वि0स0प्र0 –56/2012 – 6380 **राँची , दिनांक–** 04-12-12

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या –3400 दिनांक–28.11.2012 के आलोक में उत्तर सामग्री की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ह0) 4/12/2012

सरकार के उप सचिव।

D.Dec.2012

(58)

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0, द्वारा दिनांक– 05.12.2012 को पूछाजानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 – 06

प्रशनकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री जोसेफ गॉलस्टन, माननीय स0वि0स0	श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज एवं एन0आर0ई0पी0 (वि0प्र0) विभाग
1. क्या यह बात सही है कि राँची जिला के खलारी प्रखण्ड अंतर्गत मैक्लुस्कीगंज के समीप दामोदर नदी पर पिछले वर्षो से बन रहा पुल निर्माणाधीन है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त पुल के बन जाने से राँची, लातेहार एवं चतरा जिले के सैकड़ों गाँव का सर्म्पक सीधे राजधानी राँची से जुड़ जाएगा एवं सुरक्षाबलों को अपना अभियान चलाने में आसानी होगी ?	स्वीकारात्मक है।
3. क्या यह बात सही है कि विशेष प्रमण्डल के अधिकारियों की लापरवाही एवं संवेदक के उदासीनता के कारण निर्माण कार्य अवरूद्ध है ;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि असमाजिक तत्वों द्वारा पुल का निर्माण कार्य बाधित किया गया है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य पूरा कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में प्रश्नांकित पुल का निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 425/2012 9003 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक सं0प्र0 3406 दिनांक 28.11.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12/12

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 425/2012 9003 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के आप्त/सचिव, मंत्रीमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(मु0ग्रा0से0)– 425/2012 9003 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : अवर सचिव(प्रशाखा–3) ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

59

माननीय स०वि०स० विनोद कुमार सिंह, से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–1

प्रश्नकर्ता माननीय स०वि०स० श्री विनोद कुमार सिंह	उत्तरदाता माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री (श्री सुदेश कुमार महतो)
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह के पंचायत समिति बगोदर के सचिव 13वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि से 10 लाख से ज्यादा राशि बिना निविदा के नलकूपों की स्थापना में खर्च किया ।	पंचायत सचिव बगोदर के द्वारा 13वें वित्त की राशि से 8,50,000 (आठ लाख पचास हजार) रुपये का खर्च बिना निविदा के द्वारा किया गया है। पंचायत के सदस्यों द्वारा प्रत्येक पंचायत में एक–एक चापाकल लगाने का प्रस्ताव किया गया था । इस कार्य हेतु पंचायतवार कोटेशन आमंत्रित किया गया । प्रति चापाकल अधिष्ठापन हेतु 40,200/– (चालीस हजार दो सौ) रुपये खर्च आता है, अर्थात् यूनिट व्यय 2.00 लाख से कम है ।
(2) क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग के अनुसार 2 लाख रुपये से ज्यादा राशि के कार्यों हेतु निविदा अनिवार्य है ।	स्वीकारात्मक है ।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने की विचार रखती है यदि, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	स्थिति उपरोक्त कंडिका में स्पष्ट कर दी गयी है ।

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल) विभाग

ज्ञापांक :– 1 स्था (वि0)–193/2012 3051 /, रॉंची, दिनांक :– 4/12/12
प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 3302 दिनांक 26.11.2012 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 04/12/12
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :– 1 स्था (वि0)–193/2012 3051 /, रॉंची, दिनांक :– 4/12/12
प्रतिलिपिः– मंत्री संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमंडल) विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

ह० 04/12/12
सरकार के अवर सचिव

60

प्रश्न	उत्तर
श्री अरूप चटर्जी, स.वि.स. द्वारा दिनांक–5.12.12 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं.– अ.सू.–21	श्री मथुरा प्रसाद महतो, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के निरसा प्रखंड अवस्थित मैथन पावर लिमिटेड के रेलवे लाईन निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण में 60 वर्ष पूर्व मृत व्यक्ति नकड़ी बल के नाम से मौजा–पाण्ड्रा, मौजा नं.–95, प्लॉट नं.–1217, खाता नं.–235, रकवा–5 ¼ डी., एवार्डी नं.–340, चेक नं.–412554 दिनांक–29.10.11 इन्डोसीन बैंक धनबाद से 1,63055.17 रूपया तथा पुनः इसी मृत व्यक्ति के नाम से खाता नं.–235 प्लाट नं.–1200 रकवा11डी., एवार्डी नं.–301, चेक नं.–002369 दिनांक–16.4.12 एक्सिस बैंक सीटी सन्टर, धनबाद से 3,41,639.43/– रूपया का भुगतान किया गया है।	1. उत्तर स्वीकारात्मक है।
2. यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब समुचित जाँच के उपरान्त	2. हाँ, उक्त मामले में संलिप्त श्री मिथिलेश कुमार, कानूनगो को विभागीय आदेश सं.–4263/रा. दि0–23.11.12 द्वारा

कृ.पृ.उ.

V.S(Manoj)

इस फर्जीवाड़ा में संलिप्त दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मंशा रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	निलंबित किया जा चुका है। साथ ही Indemnity Bond पर मृतक व्यक्ति को चिन्हित करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने हेतु राजस्व विभागीय पत्रांक–4265/रा. दि0–23.11.12 द्वारा उपायुक्त, धनबाद को निदेशित किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–10/डी.एल.ए.वि./अ.सू.–160/12.828/रा0, राँची, दिनांक–04-12-12

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–3476/वि.स. दिनांक–30.11.12 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/संसदीय कार्य मंत्री कोषांग, झारखण्ड विधान सभा, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय तथा विभागीय प्रशाखा–4 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04.12.12

(आर. आर. मिश्र)
सरकार के उप सचिव।

V.S(Manoj)

61

प्रश्न	उत्तर
श्री अमित कुमार यादव, स.वि.स. द्वारा दिनांक–5.12.12 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न सं.– 12	श्री मथुरा प्रसाद महतो, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	
1. क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय में खाता नं.–375 कुल 113 प्लॉट कैसरे हिन्द भूमि पर स्थानीय रैयतों का शांतिपूर्ण कब्जा है। जहाँ लगभग 300 मकान है।	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त प्लॉट के रैयतों के वंशजों के नाम दाखिल खारिज करते हुए लगान निर्धारण करने संबंधी प्रस्ताव उपायुक्त, हजारीबाग एवं प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल द्वारा सरकार को 03 माह पूर्व प्राप्त कराया जा चुका है।	यह बात सही नहीं है, वस्तुस्थिति यह है कि प्रस्तुत विषय पर दिनांक–13.8.12 को मा0 मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गयी थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि उपायुक्त, हजारीबाग से विस्तृत प्रतिवेदन प्रमंडलीय आयुक्त के अनुशंसा के साथ प्राप्त किया जाय, तत्पश्चात् विभाग स्तर से समीक्षा कर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। उक्त निर्णय के आलोक में उपायुक्त, हजारीबाग से आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के माध्यम से विस्तृत

प्रतिवेदन की माँग की गयी है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रत्तर कार्रवाई की जायेगी।

3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त भूमि का रैयतों/वंशजों के नाम दाखिल–खारिज एवं लगान निर्धारण करने का आदेश निर्गत करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–5/वि.स. (अल्पसूचित)–351/12......4399/रा0, राँची, दिनांक–04-12-12

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–3423/वि.स. दिनांक–29.11.12 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/संसदीय कार्य मंत्री कोषांग, झारखण्ड विधान सभा, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय तथा विभागीय प्रशाखा–4 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04.12.12

(आर. आर. मिश्र)
सरकार के उप सचिव।

V.S(Manoj)

(63)

दिनांक 05.12.12 को मा0 स0वि0स0 श्री संजय प्रसाद यादव द्वारा सदन में पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न संख्या–08

प्रश्नकर्त्ता श्री संजय प्रसाद यादव, मा0 स0वि0स0	उत्तरदाता श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी, मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग
1– क्या यह बात सही है कि डब्लू0पी0एस0–717/09 के न्यायादेश के आलोक में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक सं0–7132 (एस0)/रांची, दिनांक 03.10.2012 द्वारा प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखंड को श्री कमलापति शर्मा तथा श्री कुमुद कुमार लाल को मुख्य अभियंता के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करने का आदेश निर्गत है ;	1– स्वीकारात्मक।
2– क्या यह बात सही है कि दोनों अभियंताओं से कई वरीय अभियंता विभाग में कार्यरत है ;	2– अस्वीकारात्मक। वस्तुतः ग्रामीण कार्य विभाग में अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता एवं अभियंता प्रमुख के पद पर कार्यरत/पदस्थापित अभियंताओं का मूल कोटि पद कार्यपालक अभियंता का ही है। अतएव ये सभी एक ही स्तर के पदाधिकारी है।
3– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार वरीय अभियंता को मुख्य अभियंता का प्रभार देते हुए उपरोक्त अभियंताओं को मुख्य अभियंता के पद से मुक्त करना चाहती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3–उपर्युक्त क्र0 2 में वर्णित स्थिति के आलोक में एक ही स्तर के अभियंता समूह में से किसी competent पदाधिकारी को वरीय पद का चालू प्रभार देने के लिए विभाग स्वतंत्र है ताकि विभागीय कार्यों को सही तरीके से एवं ससमय संपादित कराया जा सके। श्री कुमुद कुमार लाल स्थानांतरित हो चुके है। यदि पथ निर्माण विभाग मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी की सेवा इस विभाग को प्राप्त कराती है तब वैसी स्थिति में श्री कमलापति शर्मा के स्थान पर वरीय पदाधिकारी को मुख्य अभियंता के पद पर पदस्थापित किये जाने का समुचित निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखंड सरकार

ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक– 01 (वि0स0–12)–1247/2012.....3291.........राँची, दिनांक.......04-12-12

प्रतिलिपि –200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–3392 दिनांक–28.11.2012 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.12.12

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–01 (वि0स0–12)–1247/2012.......3291.........राँची, दिनांक.......04-12-12

प्रतिलिपि –माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/मा0 मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/ सचिव, मंत्रिमंडल एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

64

दिनांक 05-12-2012 को माननीय श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में उठाये जाने वाले अल्प-सूचित प्रश्न- 18 का उत्तर प्रतिवेदन -

प्रश्नकर्त्ता श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स0वि0स0		उत्तरदाता माननीय श्री चम्पई सोरेन परिवहन मंत्री, झारखण्ड सरकार
1, क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य पथ परिवहन निगम का गठन अबतक नहीं होने के कारण राज्य के सभी जिलों में सरकारी बसों का परिचालन सुचारू ढंग से नहीं हो रही है जिसके कारण लोगों को निजी बसों के संचालकों के मनमानी का शिकार होना पड़ रहा है;	–	उत्तर अस्वीकारात्मक है। झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के गठन के उपरांत राज्य पथ परिवहन निगम का गठन नहीं करने का निर्णय लिया गया था । उक्त के आलोक में आमलोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से निजी संचालकों को पर्याप्त संख्या में अन्तर्क्षेत्रीय एवं अन्तर्राज्यीय वाहन परमिट निर्गत किया जाता है। निर्गत परमिटों पर वाहन का परिचालन किया जाता है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड(1) में वर्णित निगम का गठन नहीं होने से राज्य को प्रति माह मिलने वाली करोड़ों रूपयों के राजस्व की वसूली बिहार राज्य पथ परिवहन निगम कर रही है;	–	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार राज्यहित एवं जनहित में खण्ड (1) में वर्णित निगम का गठन करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	–	जनहित में निगम गठन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

ह0/-

उप सचिव

परिवहन विभाग

05.12.2012

ज्ञापांक – परि0वि0–533/2012.......1354../राँची,दिनांक 03.12.2012

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, सचिवालय राँची को उनके पत्रांक – 3471/वि0स0 दिनांक 30.11.2012 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ /उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

3-12-12

उप सचिव

परिवहन विभाग

05.12.2012

(65)

श्री साईमन मराण्डी, माननीय स0वि0स0, द्वारा दिनांक– 05.09.2012 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 – 20

प्रशनकर्त्ता	उत्तरदाता
श्री साईमन मराण्डी, माननीय स0वि0स0	श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज एवं एन0आर0ई0पी0 (वि0प्र0) विभाग
1. क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखण्ड आदिवासी बाहुल्य प्रखण्ड है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, पाकुड़ द्वारा लिट्टीपाड़ा प्रखण्ड के बैजनाथपुर एवं डुमरहील के बीच नाला पर पुल निर्माण एवं लिट्टीपाड़ा प्रखण्ड के कुजवोना में साघो नदी पर पुल निर्माण का सी0ओ0बी0टी0 से पारित डी0पी0आर0 विभाग को भेजा गया है लेकिन आजतक कोई कार्रवाई नहीं हुई ;	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार पुलों का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 – 20 में अंकित पुलों के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक–5(वि0स0)– 436/2012 9008 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04·12·12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप– सं0प्र0 3473 दिनांक 30.11.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12/12

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(वि0स0)– 436/2012 9008 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04·12·12

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय उप मुख्य, (ग्रामीण विकास),मंत्री झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(वि0स0)– 436/2012 9008 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04·12·12

प्रतिलिपि : अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–3), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, माननीय स0वि0स0, द्वारा दिनांक– 05.09.2012 को पूछे जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 – 10

प्रशनकर्त्ता	उत्तरदाता
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, माननीय स0वि0स0	श्री सुदेश कुमार महतो, माननीय उप मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत राज एवं एन0आर0ई0पी0 (वि0प्र0) विभाग
1. क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला के मरकच्चों प्रखंड मुख्यालय से पपलो जाने वाले पथ में कुम्हारटोली के पास पचखेरो नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण नहीं किया गया है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई होती है ;	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि कोडरमा जिला मरकच्चो प्रखण्ड मुख्यालय से गोरहन, गिरिडीह जाने वाले पथ पर पचखेरो नदी में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण नहीं किये जाने से ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाई होती है।	स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार पचखेरो नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराने का विचार रखती है यदि हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	अल्प–सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0 – 10 में अंकित पुल के निर्माण का प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक–5(वि0स0)– 431/2012 8997 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप– सं0प्र0 3421 दिनांक 29.11.2012 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/12/12

(जनमेजय ठाकुर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(वि0स0)– 431/2012 8997 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड के आप्त सचिव/माननीय उप मुख्य, (ग्रामीण विकास),मंत्री झारखण्ड के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5(वि0स0)– 431/2012 8997 /ग्रा0वि0 राँची, दिनांक– 04.12.12

प्रतिलिपि : अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–3), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

4/12/12

सरकार के उप सचिव।